बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक.....
5(स0) अपील (सत्यम) 30/2014

दिनांक,.....

निबंधित

प्रेषक,

उप सचिव,
उद्योग विभाग,बिहार,पटना।

सेवा में,

सर्वश्री सत्यम इन्टरप्राइजेज,
श्री सत्यम आलोक,
मो0–संजय चौक,
पो0+थाना–डुमरा, जिला सितामढ़ी।

विषयः– दायर अपीलवाद सं0– 30/2014 की सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सर्वश्री सत्यम इन्टरप्राइजेज, सीतामढ़ी बनाम बियाडा के मामले में सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ संलग्न है।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/–
उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 4946 दिनांक 28/10/2016

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पटना को पारित आदेश की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

आ दे श फ ल क

अपील संख्या 30/2014

सर्वश्री सत्यम इन्टरप्राईजेज, सीतामढ़ी

बनाम्

प्रबंध निदेशक, बिहार, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

यह अपील मेसर्स सत्यम इन्टरप्राईजेज, सीतामढ़ी द्वारा 'बियाडा' के आदेश ज्ञापांक 243 दिनांक 08.02.2014 जिसके द्वारा उनका आवंटन रद्द कर दिया गया है, के विरुद्ध दायर किया गया है। उभय पक्ष उपस्थित हैं। उभय पक्षों को सुना।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 'बियाडा' द्वारा उन्हें वर्ष 2008 में 5400 वर्गफीट भूमि उद्योग स्थापना हेतु आवंटित किया गया था। अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अपीलकर्त्ता एक युवा उद्यमी हैं। अपनी बहन की शादी के चलते उन्होंने बियाडा के किस्त का भुगतान नहीं कर पाए थे। उन्होंने यह भी कहा कि अब वे बियाडा के बकाया किस्त का भुगतान करने को तैयार हैं तथा उन्हें एक मौका उद्योग स्थापना हेतु दिया जाए।

बियाडा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि अभी तक इकाई द्वारा स्थल पर उद्योग स्थापना हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि इकाई को वर्ष 2008 में करीब आठ वर्ष पूर्व भू–खण्ड उद्योग स्थापना हेतु आवंटित किया गया था एवं अब तक इकाई द्वारा कोई भी औद्योगिक गतिविधि प्रारम्भ नहीं की गई है। इकाई द्वारा कार्य करने का कोई ठोस प्रस्ताव/कागजात भी उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। उनके पास बियाडा के किस्त का भुगतान भी बकाया है। बियाडा के show cause Notice का भी कोई जवाब नहीं दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्त्ता उद्योग स्थापना हेतु इच्छुक नहीं है और उनका मकसद केवल आवंटित भूमि पर दूसरे उद्देश्य के लिए कब्जा बनाए रखने का है। उपर्युक्त स्थिति में इकाई को आवंटित भू–खण्ड को रद्द करने का 'बियाडा' का आदेश सही है।

अतः अपील आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

11/01/2016
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

लेखापित एवं शुद्धित,

11/01/2016
प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।

D:\mydocument\A.Roy\Adeshfalak